रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 1 मई, 1976

वैशाख 11, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1732/17-वि0-1--171-75

लखनऊ, 1 मई, 1976

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976, पर दिनांक 30 अप्रैल, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन), अधिनियम 1976

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1976]

(जैसा विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की, जिसे यहां आगे उक्त संहिता कहा गया है, धारा 9 में उपधारा (6) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :-- — अधिनियम संख्या 2, 1974 की धारा 9 का संशोधन

> "परन्तु जहां किसी विशेष मामले में आन्तरिक सुरक्षा या लोक व्यवस्था के विचार से ऐसा करना समीचीन प्रतीत हो, वहां सेशन खंड में किसी स्थान में बैठक सेशन न्यायालय कर सकता है या सेशन न्यायालय को तदर्थ उच्च न्यायालय निदेश दे सकता है, और ऐसे मामलों में अभियोजन और अभियुक्त की सहमति आवश्यक नहीं होगी।"

3--उक्त संहिता की धारा 11 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी और सदैव से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात्:-- — धारा 11 का संशोधन

> "(1--क) राज्य सरकार इस प्रकार किसी स्थानीय क्षेत्र में, विशेष मामलों के या विशेष वर्ग के या विशेष वर्गों के मामलों के या साधारणतया मामलों के संबंध में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय स्थापित कर सकती है।"

4--उक्त संहिता की धारा 13 में, शब्द "द्वितीय वर्ग" के स्थान पर शब्द "[illegible]

धारा 25 का संशोधन

5—उक्त संहिता की धारा 25 में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायेगा, अर्थात्:—

"परन्तु इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह राज्य सरकार को सहायक लोक अभियोजकों पर अपने नियंत्रण का प्रयोग पुलिस अधिकारियों के माध्यम से करने से प्रतिषिद्ध करती है।"

धारा 209 का संशोधन

6—उक्त संहिता की धारा 209 में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे, अर्थात्:—

"(क) धारा 207 के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात् यथाशीघ्र मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा;

(ख) जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खण्ड (क) के अधीन मामले को सुपुर्द करने तक और तत्पश्चात् विचारण के दौरान और समाप्त होने तक अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा;"।

धारा 299 का संशोधन

7—उक्त संहिता की धारा 299 में, उपधारा (1) में, शब्द "उस व्यक्ति का विचारण करने के लिये सक्षम" के स्थान पर शब्द "उस व्यक्ति का विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सक्षम" रख दिये जायेंगे।

धारा 326 का संशोधन

8—उक्त संहिता की धारा 326 में,—

(क) उपधारा (1) में, जहां कहीं भी शब्द "मजिस्ट्रेट" आया हो, वहां उसके स्थान पर शब्द "न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को" से पूर्व शब्द "एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को या" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 438 का निकाला जाना

9—उक्त संहिता की धारा 438 निकाल दी जायगी।

धारा 484 का संशोधन

10—उक्त संहिता की धारा 484 में, उपधारा (2) में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायेगा, अर्थात्:—

"(ङ) यूनाइटेड प्राविंसेज बोर्सटल ऐक्ट, 1938, संयुक्त प्रांत प्रथम अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1938 और उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम, 1951 के उपबन्ध उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ववत् प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि सक्षम विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें परिवर्तित या निरसित या संशोधित न कर दिया जाय, और तदनुसार इस संहिता की धारा 360 के उपबन्ध उस राज्य पर लागू नहीं होंगे, और धारा 361 के उपबन्ध इस प्रतिस्थापन के साथ लागू होंगे कि उसमें उल्लिखित केंद्रीय अधिनियमों के प्रति निर्देश उस राज्य में प्रवृत्त तदनुरूपी अधिनियमों के प्रति निर्देश है।"

वैधीकरण

11—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी—

(क) यह समझा जायगा कि दिनांक 28 नवम्बर, 1975 के पूर्व जारी की गई राज्य सरकार की कोई अधिसूचना, जिसका तात्पर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का कोई न्यायालय स्थापित करना है, जिसकी अधिकारिता एक से अधिक जिलों में हो, वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त संहिता की धारा 13 के साथ पठित धारा 11 के अधीन जारी की गयी है और यह समझा जायगा कि वह विधिमान्य है और सदैव विधिमान्य रही है;

(ख) यह समझा जायगा कि दिनांक 28 नवम्बर, 1975 के पूर्व जारी किया गया राज्य सरकार का कोई आदेश जिसके द्वारा सहायक लोक अभियोजकों पर पुलिस विभाग के अधिकारियों के माध्यम से नियंत्रण करने का निदेश दिया गया हो, विधिमान्य है और सदैव विधिमान्य रहा है, मानों उक्त संहिता की धारा 25 में इस अधिनियम द्वारा किया गया संशोधन सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

निरसन और अपवाद

12—(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त अध्यादेश या दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1975 के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्ध के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम दिनांक 28 नवम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुआ था।

139

No. 1732/XVII-V—1-171-75

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Dand Prakriya Sanhita, Uttar Pradesh Sanshodhan Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 1976), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 30, 1976:

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. ACT NO. 16 OF 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Code of Criminal Procedure, 1973, in its application to Uttar Pradesh

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India, as follows :—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1976.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh

Amendment of section 9 of Act 2 of 1974.

2. In section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973, hereinafter referred to as the said Code, in sub-section (6), the following proviso shall be *inserted*, namely :—

"Provided that the Court of Session may hold, or the High Court may direct the Court of Session to hold, its sitting in any particular case at any place in the sessions division, where it appears expedient to do so for considerations of internal security or public order, and in such cases, the consent of the prosecution and the accused shall not be necessary."

Amendment of section 11.

3. In section 11 of the said Code, *after* sub-section (1) the following sub-section shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*, namely :—

"(1-A) The State Government may like-wise establish as many Courts of Judicial Magistrates of the first class and of the second class in respect to particular cases, or to a particular class or particular classes of cases, or in regard to cases generally, in any local area."

Amendment of section 13.

4. In section 13 of the said Code, *for* the words "second class", the words "first or second class" shall be *substituted* and *for* the words "in any district", the words "in any local area" shall be *substituted*.

Amendment of section 25.

5. In section 25 of the said Code, in sub-section (2) the following proviso shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*, namely :—

"Provided that nothing in this sub-section shall be construed to prohibit the State Government from exercising its control over Assistant Public Prosecutor through police officers."

Amendment of section 209.

6. In section 209 of the said Code, *for* clauses (*a*) and (*b*), the following clauses shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"(*a*) as soon as may be after complying with the provisions of section 207, commit the case to the court of session ;

(*b*) subject to the provisions of this Code relating to bail, remand the accused to custody until commitment of the case under clause (*a*) and thereafter during, and until the conclusion of the trial."

Amendment of section 299.

7. In section 299 of the said Code, in sub-section (1), *for* the words "competent to try such person", the words "competent to try such person or to commit him for trial" shall be *substituted.*

Amendment of section 326.

8. In section 326 of the said Code,—

(*a*) in sub-section (1), *for* the words "Magistrate", wherever occurring the words "Judge or Magistrate" shall be *substituted;*

(*b*) in sub-section (2), *before* the words "from one Magistrate to another Magistrate", the words "from one Judge to another Judge or" shall be *inserted.*

Omission of section 438.

9. Section 438 of the said Code shall be *omitted.*

Amendment of section 484.

10. In section 484 of the said Code, in sub-section (2), *after* clause (*d*) the following clause shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted,* namely :—

"(*e*) the provisions of the United Provinces Borstal Act, 1938, the United Provinces First Offenders' Probation Act, 1938 and the Uttar Pradesh Children Act, 1951, shall continue in force in the State of Uttar Pradesh until altered or repealed or amended by the competent Legislature or other competent authority, and accordingly, the provisions of section 360 of this Code shall not apply to that State, and the provisions of section 361 shall apply with the substitution of references to the Central Acts named therein by references to the corresponding Acts in force in that State."

U.P. Act VII of 1938.
U. P. Act VI of 1938.
U. P. Act of 1951

Validation.

11. Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court—

(*a*) any notification of the State Government issued before November 28, 1975 purporting to establish any Court of Judicial Magistrates having jurisdiction over more than one district shall be deemed to have been issued under section 11 read with section 13 of the said Code as amended by this Act and be deemed to be and always to have been valid;

(*b*) any order of the State Government issued before November 28, 1975 directing the control over Assistant Public Prosecutors to be exercised through officers of the Police Department shall be deemed to be and always to have been valid as if the amendment made in section 25 of the said Code by this Act were in force at all material times.

Repeal and savings.

12. (1) The Code of Criminal Procedure (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1976 is hereby repealed.

U. P. Ordinance no. 11 of 1976.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the aforesaid Ordinance or under the Code of Criminal Procedure (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1975 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if this Act had come into force on November 28, 1975.

U. P. Ordinance no. 31 of 1975.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।